न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 71/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड
दायरा दिनांकः 21.6.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. गोरधनसिंह पुत्र तेजसिंह जाति सोन्ध्या राजपूत निवासी नारायणखेडा तहसील पचपहाड जिला झालावाड।

....अपीलाट्स

बनाम

1. गोपाली बाई पुत्री चन्नीलाल जाति काछी निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. ग्राम पंचायत नारायण खेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नारायण खेडा तहसील पचपहाड।
3. औकार सिंह वल्द– जाति सोन्ध्या राजपूत निवासी नपणिया उदा तहसील पचपहाड
4. राधेश्याम वर्मा पटवारी तहसील पचपहाड जिला झालावाड।
5. इन्सपेक्टर लेण्ड रेकार्ड (कानूनगो) तहसील पचपहाड जिला झालावाड।
6. सेकेट्री ग्राम पंचायत नारायण खेडा तहसील पचपहाड जिला झालावाड।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सी0 एम0 कुश्वाह अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा

:::निर्णय:::

दिनांक 7.11.2017

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 02/अपील/2014 बउनवान गोपाली बाई पुत्री चुन्नीलाल जाति काछी निवासी सांगोद तहसील सांगोद बनाम ग्राम पंचायत नारायणखेडा जरिये सरपंच, गोरधनसिंह आदि मे पारित निर्णय दिनांक 14.6.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि गोपालीबाई ने 15 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके नारायणखेडा के खातेदार मांगीलाल का फोती इंतकाल सं0 840 दिनांक 20.11.2002 मांगीलाल द्वारा गोरधनसिंह के हक मे निष्पादित वसीयत के आधार पर गोरधनसिंह के हक मे तस्दीक किये जाने से अप्रसन्न होकर नामा0 सं0 840 को अधीनस्थ न्यायालय मे इस आधार पर चुनोती दी कि बदयान्ति पूर्वक उक्त वर्णित आराजी मे हिस्सा नहीं लेना अंकित करते हुये उक्त नामा0 तस्दीक किया गया है अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त करते हुये उक्त विर्णित आराजी अपीलांटा (गोपालीबाई) के नाम दर्ज की जावे। उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी ने केम्प नारायणखेडा मे दिनांक 14.6.2016 को अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम नारायणखेडा के नामा0 सं0 840 दिनांक 20.11.2002 को खारिज कर प्रकरण तहसीलदार पचपहाड को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण मे मांगीलाल आ0 चुन्नीलाल जाति काछी निवासी नारायणखेडा के वारिसान की जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर निरस्तारण की कार्यवाही करें। उपखण्ड

अति० स० आ०

[illegible] भवानीमण्डी के उक्त निर्णय दिनांक 14.6.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी गोरधनसिंह द्वारा [illegible] राज0 भू राजस्व अधि0 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया खातेदार मांगीलाल का फोती नामा0 840 अपीलांट के हक मे मागीलाल द्वारा किये गये वसीयतनामा दिनांक 27.6.2002 के आधार पर वसीयतनामा के गवाहान की उपस्थिति मे पूर्णतया तहकीकात कर तस्दीक किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तलबी रेस्पो0 कम 2, 3 मे जेरकार रहते राजस्व लोक अदालत मे प्रकरण रख कर बिना किसी आधार के उक्त नामा0 को खारिज कर त्रुटि की है क्योंकि राजस्व लोक अदालत मे दोनो पक्षकारो की सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किये जाने का प्रावधान निहित है। गोपाली बाई द्वारा 12 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई थी जो प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होने से खारिज योग्य थी तथा डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया था ऐसी स्थिति मे मियाद के बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने अभिमत प्रकट प्रकट किये बिना ही अपील को निर्णित करने मे त्रुटि की है। दिनांक 10.12.2001 को गोपालीबाई ने विवादित आराजी का इंतकाल भाई मांगीलाल के पक्ष मे तस्दीक करने का शपथ पत्र आलेखित कर सहमति दी थी जिसके आधार पर मांगीलाल के नाम विवादित नामा0 सं0 840 तस्दीक किया गया उक्त तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.6.2016 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत अपील प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 कम–1 सुनी गई। प्रकरण मे शेष रेस्पो0 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुये।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रकरण मे लिखित बहस प्रस्तुत आलेखित किया कि नामा0 सं0 840 अपीलांट के हक मे मांगीलाल द्वारा निष्पादित किये गये वसीयतनामा दिनांक 27.6.2002 के आधार पर वसीयतनामा के गवाहान की उपस्थिति मे पूर्णतया तहकीकात कर तस्दीक किया था किन्तु मांगीलाल की बहिन ने बिना किसी आधार के प्रस्तुत अपील मे अपील प्रकरण रेस्पो0 कम 2, 3,4 की तलबी मे जेरकार रहते राजस्व लोक अदालत मे रख कर केम्प नारायणखेडा मे अपीलांट की अनुपस्थिति मे अपील का निस्तारण कर नामा0 खारिज करने मे त्रुटि की है। आदेशिका दिनांक 14.6.2016 से स्पष्ट है कि अपीलांट उपस्थित नहीं था ना ही आदेशिका पर अपीलांट की उपस्थिति के हस्ताक्षर है अतः बिना आधार के अपीलांट की उपस्थिति लिखी गयी है। राजस्व लोक अदालत मे दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है।नामा0 सं0 840 तस्दीक होने से लेकर आज तक अपीलांट बतौर खातेदार आराजी पर काबिज चला आ रहा है ऐसी स्थिति मे रिकार्डेड खातेदार को सुनवायी का अवसर दिये प्रदान किये बिना पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। आरआरटी 2014–15 पेज 68, गोपाली बाई द्वारा 12 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई थी जो प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होने से खारिज योग्य थी तथा डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया था ऐसी स्थिति मे मियाद के बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय अभिमत प्रकट प्रकट किये बिना ही अपील को निर्णित करने मे त्रुटि की है। आरआरटी 2013 (2) पेज 1252, अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 से संबधित पत्रावली तलब किये बिना ही जेरअपील निर्णय पारित कर त्रुटि की जबकि कानूनन नामा0 की अपीलो का मेरिट पर निस्तारण बिना रिकार्ड कॉल किये नहीं किया जा सकता। आरआरटी 2006 (1) पेज 496, आरआरटी 2013(1) पेज 424, मांगीलाल विवादित आराजी का एकमात्र खातेदार था उसके कोई औलाद नहीं थी ऐसी स्थिति मे मांगीलाल खातेदार द्वारा दो गवाहान के समक्ष वसीयत निष्पादित कर अपीलांट को वसीयती उत्तराधिकारी बनाया था एवं मांगीलाल के फोत होने उपरांत वसीयत के आधार पर नामा0 सं0 840 विधिवत तस्दीक किया गया। कोई खातेदार बिना वसीयत करे ही मर जाचे तो तब ही हिन्दू उत्तराधिकार का कानून लागू होता है एवं वैसे भी उत्तराधिकार का बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तय नहीं किया जा सकता। लिखित बहस मे यह भी आलेखित किया कि वसीयत की वेलीडिटी का बिन्दू नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तय नहीं किया जा सकता। आरबीजे 2006 पेज 133, गोपालीबाई ने वसीयत को आज तक किसी सक्षम न्यायालय मे

[illegible] नहीं किया है जब तक न्यायालय द्वारा वसीयत निरस्त या अवैध घोषित नही हो जाती तब तक नामा0 सं0 840 को अवैधानिक नहीं माना जा सकता ना ही निरस्त किया जा सकता है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से पूर्णतया साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/रिकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही तथा मियाद के बिन्दू को निर्णित किये बिना ही तथा नामा0 सं0 840 से संबधित रिकार्ड तलब बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो कानूनी प्रावधानो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जेरअपील दिनांक 14.6.2016 निरस्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम–1 ने बहस मे बताया कि नामा0 सं0 840 के कालम सं0 16 मे अंकित पटवारी रिपोर्ट से गोपालीबाई मदनलाल की बहन होना प्रमाणित है। अतः मै पारिवारिक सजरे में हूँ। वसीयत पंचायत मे पेश नहीं हुई जबकि पंचायत मे पेश होना चाहिये था तथा वसीयत की जांच होनी चाहिये थी। वसीयत प्रमाणित नहीं है। गोरधनसिंह ही उस समय सरपंच थे पद का दुरूपयोग करते हुये मिली भगत करके बदयान्ति पूर्वक उक्त वर्णित आराजी मे हिस्सा नहीं लेना अंकित करते हुये उक्त नामा0 तस्दीक किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर प्रकरण मृतक खातेदार मांगीलाल के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार पचपहाड को रिमांड किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत नारायणखेडा के पत्र दिनांक 14.6.2016 मे अंकित सजरा का अवलोकन किया। नामा0 सं0 840 दिनांक 20.11.2002 व नामा0 सं0 779 दिनांक 20.12.2001 मे अंकित सजरा खानदान अनुसार गोपाल फोत लालोलाद, भाई मांगीलाल व बहिन गोपालीबाई अंकित है किन्तु ग्राम पंचायत नारायणखेडा द्वारा विवादित नामान्तरकरण के संबध मे बिना विधिक प्रक्रिया के ही गोपालीबाई का नाम अपने निर्णय मे अंकित नहीं किया जो कि विधि विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण के दिये गये निर्णय मे गोपालीबाई ने अपने हिस्से की आराजी, हिस्सा नहीं लेने बावत शपथ पत्र पेश करने का जिक्र किया है किन्तु पत्रावली मे ऐसा कोई शपथ पत्र उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति मे नामा0 सं0 840 मे वर्णित गोपालीबाई द्वारा अपना हिस्सा नही लेने संबधी ग्राम पंचायत द्वारा उल्लेखित तथ्य की पुष्टि नहीं होती है तथा ना ही ग्राम पंचायत द्वारा गोपालीबाई को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, ऐसी स्थिति मे ग्राम पंचायत नारायणखेडा द्वारा तस्दीक नामा0 सं 840 विधिसम्मत नहीं होने अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय 14.6.2016 से खारिज कर प्रकरण तहसीलदार पचपहाड को मांगीलाल आ0 चुन्नीलाल जाति काछी निवासी नारायणखेडा के वारिसान की जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने निस्तारण की कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 7.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा